सरकारी योजनाएं / कार्यक्रम

वस्त्र एवं जूट उद्योग के लिए प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना (टफ्स) : भारत सरकार, वस्त्र मंत्रालय ने 1 अप्रैल 1999 से 5 वर्ष की अवधि के लिए वस्त्र एवं जूट उद्योग के लिए प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना (टीयूएफएस) आरंभ की थी. बाद में इस योजना को 3 वर्ष के लिए और अर्थात् 31 मार्च 2007 तक के लिए बढ़ा दिया गया था. इस योजना को 1 अप्रैल 2007 से संशोधित कर इसे वित्त वर्ष 2011-12 तक 5 वर्ष के लिए रखा गया है. यह योजना अत्याधुनिक अथवा लगभग अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी को शामिल करने के इरादे से बनाई गई है. संशोधित योजना में 1 अप्रैल 2007 से भारत सरकार, वस्त्र मंत्रालय पात्र स्पिनिंग मशीनरी को दिए गए रुपया मीयादी ऋणों पर 4% वार्षिक की दर से ब्याज की प्रतिपूर्ति करेगा, साथ ही अन्य स्पिनिंग क्षेत्रों के लिए 5% वार्षिक की दर से ब्याज की प्रतिपूर्ति की जाएगी. गारमेंटिंग , तकनीकी वस्त्रोद्योग व प्रोसेसिंग क्षेत्रों में मूल्य-वर्धन व रोजगार निर्माण की संभावना को देखते हुए इन क्षेत्रों की चुनिंदा वस्त्र मशीनरी के लिए 10% के पूंजी उपदान के रूप में अतिरिक्त लाभ भी दिया जाएगा.

वस्त्र मंत्रालय ने आईडीबीआई बैंक को गैर-लघु उद्योग के वस्त्र क्षेत्र के लिए टीयूएफएस के अंतर्गत एक नोडल ऐजेंसी के रूप में कार्य करने के लिए नियुक्त किया है. योजना की पहुँच बढ़ाने के लिए आईडीबीआई बैंक ने 50 बैंकों / संस्थाओं को योजना के परिचालन के लिए शामिल किया है. इसके अलावा आईडीबीआई बैंक टीयूएफएस के अंतर्गत प्रत्यक्ष सहायता भी प्रदान करता है. नोडल एजेंसी के रूप में अपनी भूमिका का निर्वहन करते हुए आईडीबीआई बैंक इस योजना के अंतर्गत उपदान की पात्रता तय करने के लिए परियोजना की टीयूएफएस के लिए संगतता का आकलन करता है. मामले को पात्रता प्रमाणपत्र संख्या (ईसीएन) मंजूर करने के बाद इन मामलों के दावे वस्त्र आयुक्त के कार्यालय को ऑनलाइन प्रस्तुत किए जाते हैं. वस्त्र आयुक्त का कार्यालय आवश्यक छानबीन करने के बाद इन मामलों को उपदान-निधि जारी करवाने के लिए वस्त्र मंत्रालय को अग्रेषित कर देता है. वस्त्र मंत्रालय से उपदान-निधियों की प्राप्ति के बाद यह राशि उधारदाता बैंकों/ संस्थाओं / आईडीबीआई बैंक की शाखाओं के मार्फत विभिन्न हिताधिकारियों को संवितरित कर दी जाती है. टीयूएफएस हिताधिकारियों तथा उन्हें आबंटित उपदान-निधि का विवरण देखने के लिए इस लिंक को क्लिक करें:

http://www.txcindia.com/TUFSSoftware/txc_format_select_public.asp

सरकारी एजेंसियों के अन्य उपदान कार्यक्रमः

क्रम. सं.	उपदान कार्यक्रम	उपदान देनेवाली संस्था	कार्यान्वयन की पद्धति
1.	सूक्ष्म व लघु उद्यमियों के लिए ऋण सहबद्ध पूंजी उपदान	भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी)	यह योजना सूक्ष्म व लघु उद्यमियों के उत्पादन उपकरणों (प्लांट एवं मशीनरी) तथा प्रौद्योगिकी के आधुनिकीकरण के लिए अपफ्रंट उपदान प्रदान कर प्रौद्योगिकी उन्नयन को सुकर बनाने के लिए तैयार की गई है. • इस योजना के अंतर्गत ऋणों की सीमा 1 करोड़ रुपये है. • यह योजना अतिलघु इकाइयों सहित

			एमएसई इकाइयों को अनुमोदित चुनिंदा उप-क्षेत्रों / वस्तुओं में सुस्थापित व उन्नत प्रौद्योगिकी शामिल करने के लिए संस्थागत वित्त पर 15 प्रतिशत पूंजी उपदान उपलब्ध कराती है. • इस योजना के अंतर्गत उपदान की पात्र राशि की गणना प्लांट व मशीनरी के क्रय मूल्य के आधार पर की जाती है. • आईडीबीआई बैंक सिडबी से उपदान राशि का दावा करता है. एसएमई वर्टिकल जो योजना के लिए नोडल एजेंसी है , दावे संबंधी दस्तावेजों की जांच कर उन्हें सिडबी को भेजता है.
2.	प्रधानमंत्री रोजगार निर्माण योजना (पीएमईजीपी)	खादी एवं ग्रामीण उद्योग आयोग (केवीआईसी)	इस योजना के लिए नोडल एजेंसी खादी एवं ग्रामीण उद्योग आयोग (केवीआईसी) है. केवीआईसी सभी कार्यान्वयन बैंकों के साथ उपदान खाता खोलता है और दावे के निपटान हेतु निधियों को खाते में रखा जाता है. तथापि केवीआईसी द्वारा आईडीबीआई बैंक के साथ उपदान खाता खोला जाना बाकी है.
3.	खाद्य उपदान	खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार	यदि किसी कंपनी को खाद्य मदों के प्रसंस्करण के लिए मीयादी ऋण या कार्यशील पूंजी मंजूर की जाती है, तो प्लांट व मशीनरी तथा तकनीकी सिविल कार्य की पात्रता सूची को ध्यान में रखते हुए (www.mofpi.nic.in पर उपलब्ध) प्लांट व मशीनरी (केवल नई) व तकनीकी सिविल कार्य (अधिकतम 50 लाख रुपये) की लागत की 25% राशि का उपदान दिया जाता है. पहाड़ी क्षेत्रों में स्थापित उद्योगों के लिए 33% उपदान राशि (अधिकतम 75 लाख रुपये) मंजूर की जाती

			है. उपदान का आवेदन बैंक को प्रस्तुत किया जाता है , जो वाणिज्यिक उत्पादन से पहले ऋण मंजूर करते हैं. उपदान राशि दो समान किस्तों में जारी की जाती है तथा इसे ऋण की चुकौती तक बैंक द्वारा एफडी के रूप में जमा रखा जाता है और इसे देय बकाया राशियों के निपटान में समायोजित किया जा सकता है.
4.	चीनी उपदान	नोडल बैंकों के माध्यम से खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा. आईडीबीआई बैंक लि. के लिए, बैंक ऑफ बड़ौदा दावे भेजने की नोडल एजेंसी है.	यह योजना भारत सरकार द्वारा 2007-08 और 2008-09 के लिए किसानों के बकाया गन्ना भुगतान के लिए घोषित की गई थी. चीनी फैक्टरियों पर प्रभारित 12% के ब्याज की सरकार द्वारा प्रतिपूर्ति की जाएगी. कंपनी से कोई ब्याज नहीं वसूला जाएगा. भारत सरकार को दावे निर्धारित फॉर्मेट में मासिक आधार पर भेजे जाएं.
5.	चीनी उपदान एग्री क्लिनिक, गोडाउन, डेयरी इकाइयां, कोल्ड स्टोरेज उपदान	राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड)	ग्राहकों से प्राप्त आवेदन प्रधान कार्यालय में कृषि विभाग को भेजे जाते हैं , जो निर्धारित फॉर्मेट में इन्हें नाबार्ड को भेज देता है. नाबार्ड अपनी पद्धति के अनुसार उपदान दो किस्तों में जारी करता है , जिसे परिपक्वता पर ऋण राशि से समायोजित कर दिया जाता है.
6.	फसल ऋणों के लिए सरकारी अनुदान	भारतीय रिज़र्व बैंक	यदि कृषकों को 3 लाख रुपये तक का ऋण 7 % की दर से मंजूर किया जाता है, तो 2% का सरकारी अनुदान उपलब्ध रहता है. खरीफ/ रबी की फसलों के लिए सरकारी अनुदान की गणना संवितरण की तारीख से एक वर्ष तक के लिए की जाती है. नियमित रूप से चुकौती करने वाले कृषकों को 1% का अतिरिक्त सरकारी उपदान मिलता है. सरकारी अनुदान की राशि सिस्टम से प्राप्त

			की जाती है और इसका शाखाओं से प्राप्त आंकड़ों के साथ मिलान किया जाता है. गैर-लेखापरीक्षित दावे छमाही आधार पर रिज़र्व बैंक को भेजे जाते हैं. सांविधिक लेखापरीक्षा प्रमाणपत्र वार्षिक आधार पर भेजे जाते हैं , जिनमें उक्त दावों को प्रमाणित किया जाता है. रिज़र्व बैंक इस सरकारी उपदान राशि को सांविधिक लेखापरीक्षा प्रमाणपत्र के आधार पर जारी करता है.
7.	मुर्गी पालन हेतु सरकारी अनुदान	भारतीय रिज़र्व बैंक	बर्ड फ्लू से प्रभावित परियोजनाओं के लिए 4% की दर से एकबारीय सरकारी उपदान घोषित किया गया था.
8.	बागबानी परियोजनाओं के लिए उपदान	राष्ट्रीय बागबानी बोर्ड	उपदान दावे पंजीकृत कार्यालय के माध्यम से भेजे जाते हैं. उपदान राशि का देयराशियों से समायोजन किया जा सकता है.
9.	वीवर्स क्रेडिट कार्ड योजना (डब्ल्यु सीसी) के अंतर्गत हथकरघा बुनकरों को सरकारी सहायता	भारत सरकार नाबार्ड के माध्यम से	i) डब्ल्युसीसी योजना का लक्ष्य बुनकरों को निवेश जरूरतों (मीयादी ऋण)के लिए उनकी ऋण आवश्यकताओं तथा कार्यशील पूंजी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए लचीले और किफायती तरीके से पर्याप्त तथा समय पर सहायता उपलब्ध कराना है. ii)सरकार ने समेकित हथकरघा विकास योजना (आईएचडीएस) के अंतर्गत विकास हेतु 550 हथकरघा समूहों, जिनमें 300-500 बुनकर शामिल हैं, को अभिनिर्धारित किया है और कई स्थानों पर समुहों के वि कास के लिए निधियां आबंटित की हैं. iii)बुनकरों को बैंक ऋण उपलब्ध कराने के लिए निम्न रूप में नकदी सहायता की पेशकश की जाती है. क) प्रति बुनकर 4,200/-रुपये तक मार्जिन

			राशि सहायता. ख) बैंक ऋण पर 3%का ब्याज उपदान और/अथवा ग) एकबारीय गारंटी शुल्क जो लागू हो (वर्तमान में 1%) और सीजीटीएमएसई के अंतर्गत गारंटी सुरक्षा के लिए 3 वर्ष की अवधि तक के लिए वार्षिक सेवा प्रभार जो लागू हों (वर्तमान में 0.5%) विकास आयुक्त (डीसी) (हैंडलूम) द्वारा वहन किए जाएंगे. iv)उपर्युक्त सभी तीन वित्तीय सहायता/सुविधाएं उन एकल बुनकरों द्वारा प्राप्त की जा सकती हैं जो विकास आयुक्त (हैंडलूम) के पास पंजीकृत हैं. v)उधारकर्ता द्वारा लायी जानेवाली मार्जिन राशि में मार्जिन राशि सहायता शामिल की जा सकती है बशर्ते वह उपलब्ध हो.